



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No 3 of 1997)
NAAC Accreditation: "A" Grade

कादर नवाज खान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव /Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 51/2015/ पी-एच.डी.अध्या./62/630

अधिसूचना

तिथि: 21.12.2016

मानवविज्ञान विभाग के अध्ययन मंडल का गठन पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक: 51/2015/ अ.मं. (BOS)/30/545 दिनांक 31.10.2014 द्वारा किया गया है जिसका कार्यकाल दिनांक 30.10.2016 को समाप्त हो गया है।

पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक: 45/2009 (संशोधित) के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार मानवविज्ञान विभाग के अध्ययन मंडल (Board of Studies) का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है-

- | | |
|--|--|
| 1. विभागाध्यक्ष- | अध्यक्ष |
| 2. केंद्र के सभी प्रोफेसर- | सदस्य |
| 3. सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर- | सदस्य |
| 4. भूतपूर्व विद्यार्थी- | डॉ. आशुतोष कुमार
वाणिज्य कर अधिकारी, वाराणसी (उ.प्र.) |
| 5. कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ- | प्रो. मीताश्री मित्रा
मानवविज्ञान विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
प्रो. बी.एम.मुखर्जी
पूर्व अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर |

पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष के लिए होगा।
यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जा रही है।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ।
3. विभागाध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग को संबंधित को सूचित करने के अनुरोध के साथ।
4. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक) कार्यालय।
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल।

कादर नवाज खान
(कादर नवाज खान)
21/12/16